वास्ते ... पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

7/1/26 पत्रा. पेश। वकील पक्ष ... वास्ते ... 30/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

30/1/26. पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 6/3/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

6/3/26 पत्रा. पेश।
वादी ने धारा 88, 89 R. T. Act के तहत आवंटन order दिनांक 21-12-2010 के अनुसार गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का दावा लगाया है। इनका कहना है कि 10 साल से उक्त ज़मीन पर काबिज हैं इसलिए उनको खातेदारी अधिकार दिए जाएं।
इसके विपरीत प्रतिवादी ने कहा है कि उक्त ज़मीन पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काबिल नहीं है व आवंटन खारिज हेतु भूमि आवंटन निरस्तीकरण नियम 14(4) के तहत प्रकरण प्रक्रियाधीन है। पत्रावली के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त ज़मीन के ~~प्रकरण~~ सम्बन्ध में सीलिंग अपील प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है एवं वादग्रस्त भूमि के यथास्थिति के आदेश पारित है। इसका वर्णन जिला कलक्टर के निर्णय दिनांक 10.12.2024 में वर्णित है जिसमे TDR ने आवंटन निरस्तीकरण की प्रार्थना की थी। क्योंकि यह प्रार्थना जिला कलक्टर द्वारा खारिज कर दी गई थी अत: तनकी 4 वादी के पक्ष में जाती है। परन्तु क्योंकि आवंटित ज़मीन पर ही सीलिंग अपील का प्रकरण प्रक्रियाधीन है तो allotment का basis ही settled नहीं है। राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय उपरान्त ही वादग्रस्त भूमि का legal status क्लियर होगा। अत: इसके पहले वादी	

Chan

उपखण्ड अधिकारी
...गंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	को उक्त ज़मीन पर गैर-खातेदारी से खातेदारी अधिकार देना उचित नहीं है। अतः तनकी 1 लगायत 2 वादी के पक्ष में नहीं जाती। अतः वाद खारिज किया जाता है। जब तक वादग्रस्त भूमि पर राजस्व मण्डल का निर्णय नहीं हो जाता तब तक भूमि पर खातेदारी अधिकार देना उचित नहीं है। वाद खारिज़ किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 6/3/26 को सुनाया गया। फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Che उपखण्ड अधिकारी [illegible] 6/3/26.